न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 184/2017

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. शांति बेवा मदनलाल जाति–जाट निवासी–खराड़ी, तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. तहसीलदार, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 LR Act.

तारीख रजू:. 31/07/2017

उपस्थितः– 1. श्री राजीव लोचन, अधिवक्तागण, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 19/06/2018**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–खराड़ी के खाता संख्या 209 में खसरा नम्बर 3 रकबा 17–07 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 10–12 बीघा, खसरा नम्बर 790 रकबा 03–01 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 38–02 बीघा आयी हुई है। नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 की साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। प्रार्थीया का सही नाम शांति है जो पहचान पत्र, आधार कार्ड में दर्ज है इनकी छायाप्रति कार्यवाही के साथ में पेश है। प्रार्थीया के पति फोत होने पर प्रार्थीया के नाम नामान्तरण भरते समय प्रार्थीया का नाम शांति दर्ज नही कर मिसुडी बेवा मदन दर्ज कर दिया जो गलत है जो त्रुटि दुरूस्त किये जाने योग्य है। मिसुड़ी प्रार्थीया का नाम सही नही है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नामान्तरणकरण में गलत नाम मिसुड़ी रह जाने से कठिनाई होगी व कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न हो जायेगी ऐसी स्थिति में यह कार्यवाही प्रार्थीया के गलत नाम मिसुड़ी को दुरूस्त कर सही नाम शांति दर्ज करने के आदेश दिलावे। राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 12/7/2017 को प्रथम बार लेने पर प्रार्थीया को जानकारी में आया कि उसका गलत नाम मिसुडी दर्ज कर दिया। धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत् श्रीमान् को रेकर्ड दुरूस्ती का अधिकार है। प्रार्थीया अपने नाम दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार से दिनांक 14/7/2017 को निवेदन किया परन्तु वह इंकार हो गये तथा बताया कि सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे इसलिए यह कार्यवाही श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस प्रकार प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थीया का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नाटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र– डिगरना में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण /पटवारी हल्का ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम–खराड़ी के वर्तमान खाता संख्या 208 में खसरा नम्बर 3 रकबा 17–07 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 10–12 बीघा, खसरा नम्बर 790 रकबा 03–01 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 38–02 बीघा में खातेदार तेजा छोटू पिता दयाल, हड्मान पुत्र मदन, मिसुड़ी बेवा मदन गुटकी बेवा दयाल जाति जाट सा देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया शांति पत्नि मदनलाल अपना सही नाम मिसुड़ी बेवा मदन के स्थान पर दर्ज करवाना चाहती है। नामान्तरण संख्या 1080/28.12.2001 के जरिये मदन पुत्र दयाल फौत होने से वारिसान हड्मान पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दयाल मिसुड़ी बेबा दयाल दर्ज किया गया। प्रार्थीया शांतिदेवी ने अपने नाम के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड नम्बर 315066334922, पहचान पत्र संख्या RJ /21/159/153445, राशन कार्ड संख्या 00693 प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीया का नाम शांतिदेवी पत्नि मदनलाल जाट दर्ज किया गया । उक्त संबंध में मजमे-ए-आम में जांच की गई एंव मौका फर्द तैयार की गई जिसमें मौत बिरान ने मिसुड़ी पत्नी मदनलाल नाम के स्थान पर शांतिदेवी पत्नी मदनलाल नाम सही होना बताया तथा मिसुड़ी पत्नी मदनलाल अन्य किसी महिला का नाम नहीं होना बताया। मिसुड़ी पत्नी मदनलाल और शांतिदेवी पत्नी मदनलाल एक ही महिला के नाम होना बताया गया।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं जबाबा प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः मजमे-ए-आम में प्रार्थीया के सही नाम शांति होने की पुष्टि की गई। लिहाजा फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम गलत रूप से दर्ज मिसुड़ी के स्थान पर दुरूस्त कर सही नाम शांति पत्नि मदनलाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा-खराड़ी के खाता संख्या 209 में खसरा नम्बर 3 रकबा 17-07 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 10-12 बीघा, खसरा नम्बर 790 रकबा 03-01 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 38-02 बीघा में प्रार्थीया का नाम गलत रूप से दर्ज मिसुड़ी के स्थान पर दुरूस्त कर सही नाम शांति पत्नि मदनलाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-खिंगरना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)